रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-23042025-262623 SG-DL-E-23042025-262623

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] No. 119] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947 DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 18 [N. C. T. D. No. 18

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

फां0 सं0 50(46)/डीसी/स्थां0/2024/41.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3532 के साथ पिटत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा औषि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (ग्रेंड-I) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-
 - (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।
 - (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रका"ान की तिथि से लागू होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

2597 DG/2025 (1)

- 3. भर्ती पद्धित, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :--वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

अथवा

- (ख) जो एक जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
- 5. शिथिल करने की शक्ति:— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छट दे सकती है।
- 6. बचाव :—इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य वि'ोष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयू—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I)
2.	पदों की संख्या	:	02 (2025)
			परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29200–92300 / –रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा		लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता		लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्घारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	•••	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने	:	पदोन्नति द्वारा

	वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	3	पदोन्नित : ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा सिहत वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर—4 (रुपये 25500—81100/—) में स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II) अथवा स्टाफ कार चालक, ग्रेड—II तथा सामान्य ग्रेड में कुल 15 वर्षों की संयुक्त सेवा सिहत तथा उन्होंने सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। टीप :— जिन किनष्ट अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नित के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने किनष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नित समिति (पदोन्नित / स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव / सचिव (लो०नि०वि०) — अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य 3. उप—सचिव ('ो०विका०), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य टीप :— यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से किनष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का विरष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से राज कुमार, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT NOTIFICATION

Delhi, the 17th April, 2025

F. No. 50(46)/DC/Estt./2024/41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. S.O.3532 dated 24.09.1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment

to the post of Staff Car Driver (Grade I) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Staff Car Driver (Grade-I) Recruitment Rules, 2025
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.
- 4. **Disqualification.-**No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Staff Car Driver (Grade-I) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of	Number of Posts	Classification	Pay Level	Whether	Age limit for direct
Post			in the Pay	Selection	recruits
			Matrix	Post/ Non-	
				Selection	
				Post	
1	2	3	4	5	6
Staff Car	02 (2025)	General Central	Level-5	Non-	Not Applicable
Driver	*subject to variation	Service,	(Rs.29200	Selection	
(Grade -I)	dependent on	Group C,	- 92300)		
	workload	Non-Gazetted, Non-	of the Pay		
		Ministerial	Matrix		

Educational and other	Whether age & Educational	Period of	Method of Recruitment whether by direct
Qualification	Qualification prescribed for	probation, if	recruitment or by promotion or by
required for Direct	direct recruitment will apply	any	deputation/absorption & percentage of
Recruits	in the case of promotees		vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10

Not Applicable	Not Applicable	Not	By Promotion
		Applicable	

In case of Recruitment by Promotion/	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in
deputation/ absorption grades from	what is its composition	which UPSC is to be
which Promotion/ deputation/ absorption		consulted in making
to be made		recruitment
11	12	13
Promotion:	Group 'C' DPC (for considering promotion/	Not applicable
Staff Car Driver (Grade-II) in the pay	confirmation):	
Level 4 (Rs. 25500 - 81100) of the pay		
matrix with 06 years of regular service in	1. Principal Secretary/ Secretary (PWD) -	
the Grade or with a combined service of	Chairman	
15 years in Staff Car Driver, Grade II and	2. Head of the Department	
Ordinary Grade put together and have	concerned - Member	
passed the trade test, specified by the	3. Deputy Secretary (UD) GNCT	
government	of Delhi - Member	
Note:	Note : Senior most member of the Departmental	
Where Juniors who have completed their	Confirmation Committee for considering	
qualifying/ eligibility service are being	confirmation shall act as Chairperson in case the	
considered for promotion, their seniors	notified Chairperson of the Committee happens	
would also be considered provided they	to be junior to another member of the	
are not short of the requisite qualifying/	Departmental Confirmation Committee	
eligibility service by more than half of		
such qualifying/ eligibility service or two		
years, whichever is less and have		
successfully completed their probation		
period for promotion to the next higher		
grade along with their juniors who have		
already completed such qualifying/		
eligibility service	B 1 1: 1	1 1 0 0 0

By order and in the name of the Lt. Governor, Delhi

RAJ KUMAR, Dy. Secy, (H&FW)